न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 98 / 2021

प्रार्थीः– किशनसिंह पुत्र श्री बिजराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी डिगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला–जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।
अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 12/3/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 19.7486 हैक्टेयर ग्राम डिगाड़ी, खसरा नम्बर 33 रकबा 1.0117 हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.9065 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर ग्राम संत श्रीनिम्बाराम नगर पटवार हल्का मालूंगा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम किशोरसिंह पुत्र बिंजराजसिंह दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम किशनसिंह हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश किशोरसिंह दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम किशनसिंह पुत्र बिजराजसिंह दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिस वजह से प्रार्थी की भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में सुधारा जाता है तो अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 19.7486 हैक्टेयर ग्राम डिगाड़ी, खसरा नम्बर 33 रकबा 1.0117

हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.9065 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर ग्राम संत श्रीनिम्बाराम नगर पटवार हल्का मालूंगा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम किशोरसिंह दर्ज कर रखा हैं जो गलत हैं उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम किशनसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी का जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम किशनसिंह पुत्र बिजराजसिंह है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 19.7486 हैक्टेयर ग्राम डिगाड़ी, खसरा नम्बर 33 रकबा 1.0117 हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.9065 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0324 हैक्टेयर ग्राम संत श्रीनिम्बाराम नगर पटवार हल्का मालूंगा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम किशोरसिंह पुत्र बिंजराजसिंह के स्थान पर किशनसिंह पुत्र बिजराजसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां